

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 351]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 अगस्त 2016—श्रावण 31, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2016

क्र. 13581-231-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 20 अगस्त 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २२ सन् २०१६

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, २०१६

[दिनांक २० अगस्त, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २२ अगस्त, २०१६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ३-ख का स्थापन.

२. मूल अधिनियम की धारा ३-ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

प्रवेश कर के संग्रहण के लिए विशेष उपबंध.

“३-ख. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, भारत में निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर और धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन अधिसूचित माल के संबंध में, प्रवेश कर का संग्रहण करने और उसे राज्य सरकार को चुकाने हेतु रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जो कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, सक्षम प्राधिकारी या माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी.

(२) यदि माल का परिवहन करने वाला कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन यथा अपेक्षित कर की राशि पूर्णतः या अंशतः, संग्रहण करने में असफल रहता है या संग्रहण करने के पश्चात् उसे राज्य सरकार को चुकाने में असफल रहता है तो वह ऐसे कर के संबंध में, ऐसे व्यतिक्रम के लिए कर का भुगतान करने के लिए दायी समझा जाएगा और वह कर के अतिरिक्त ३ प्रतिशत प्रतिमाह से अनधिक की ऐसी दर से, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए, ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा.

(३) ऑनलाइन शापिंग या ई-व्यापार के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य में राज्य के बाहर से माल का परिवहन करवाने वाला व्यक्ति ऐसे प्ररूप में जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए एक पत्रक अभिप्राप्त करेगा और अपने साथ रखेगा. यदि ऐसा व्यक्ति इस अपेक्षा का पालन करने में असफल रहता है, तो कोई जांच चौकी अधिकारी, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ५७ की उपधारा (५) के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी या ऐसे व्यक्ति का कर निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस धारा के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा. यदि इस धारा के अधीन किसी जांच चौकी अधिकारी या मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ५७ की उपधारा (५) के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा उस माल के कारण शास्ति अधिरोपित की गई है जिसके लिए व्यक्ति ने विनिर्दिष्ट पत्रक अभिप्राप्त नहीं किया है या अपने साथ नहीं रखा है, तो ऐसे व्यक्ति के कर निर्धारण के दौरान ऐसे माल के कारण कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी:

परन्तु यदि माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति ने मध्यप्रदेश राज्य में प्रवेश करने के पूर्व, पत्रक का पूर्ण विवरण विभाग के अधिकृत वेब पोर्टल पर अपलोड करा दिया है, तो यह समझा जाएगा कि उसके द्वारा पत्रक प्राप्त करने और अपने साथ रखने की अपेक्षा का अनुपालन कर दिया गया है.

- (४) उपधारा (३) के अधीन कार्यवाहियां, उपधारा (३) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने हेतु नोटिस जारी कर आरम्भ की जाएंगी. ऐसे व्यक्ति को सुनने के पश्चात् तथा ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, यदि प्राधिकृत अधिकारी का समाधान नहीं होता है तो वह माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति को यह निर्देश देते हुए यह आदेश पारित करेगा कि वह शास्ति के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करे, जो ऐसे माल पर, जिसके लिए उसने पत्रक नहीं रखा है, देय कर के दो गुने से कम किन्तु तीन गुने से अधिक नहीं होगी.
- (५) माल का परिवहन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कर निर्धारण, आयुक्त द्वारा यथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पृथक्-पृथक् किया जाएगा. माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति पर, इस अधिनियम के कर निर्धारण, वसूली, अपील और पुनरीक्षण के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

- (एक) “माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति” से अभिप्रेत है, परिवहनकर्ता, कोरियर, अभिकर्ता या माल का परिवहन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति और स्वामी के अतिरिक्त सम्मिलित हैं, प्रबन्धक, अभिकर्ता, वाहन चालक, स्वामी का कर्मचारी, माल के चढ़ाने या उतारने के स्थान का भारसाधक व्यक्ति या अन्य स्थानों को भेजे जाने के लिए ऐसे माल को ले जाने वाले माल वाहक यान का भारसाधक व्यक्ति या परेषिती को ऐसे माल का कोई परेषण परिदत्त करने वाला व्यक्ति;
- (दो) “ऑनलाइन शॉपिंग या ई-व्यापार” से अभिप्रेत है, इन्टरनेट या टेलीफोन के माध्यम से माल का क्रय और विक्रय.”.

यह विधेयक मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक २५ जुलाई, २०१६ को पारित किया गया.

भोपाल :

दिनांक : जुलाई, २०१६.

अध्यक्ष

मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2016

क्र. 13581-231-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 22 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 22 OF 2016

**THE MADHYA PRADESH STHANIYA KSHETRA ME MAL KE PRAVESH PAR KAR
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016**

[Received the assent of the Governor on the 20th August, 2016; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 22nd August, 2016.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Substitution of Section 3-B.

2. For Section 3-B of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely :—

Special provision for collection of entry tax.

"3-B.(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the State Government may, by notification, specify the manner and appoint a competent authority or a person transporting goods to collect entry tax in respect of India made foreign liquor, beer and goods notified under sub-section (2) of Section 3 and to pay it to the State Government, on such terms and conditions as may be specified therein.

(2) If a person transporting goods fails to collect, or after collecting fails to pay, the whole or any part of the tax as required under sub-section (1), he shall be deemed to be liable to pay tax, in default in respect of such tax and shall be liable to pay, in addition to the tax, interest at the rate not exceeding 3 percent per month, as may be specified.

(3) The person transporting goods into the State of Madhya Pradesh from outside the State, pursuant to online shopping or e-commerce, shall obtain and carry with him a statement in such form as may be specified. If such person fails to comply with this requirement, any check post officer, any officer authorized under sub-section (5) of Section 57 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) or any officer authorized to make assessment of such person, may initiate proceedings for imposition of penalty under this section. If the penalty has been imposed under this section by a check post officer or by an officer authorized under sub-section (5) of Section 57 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, on account of goods for which the person had not obtained or carried the specified statement, no penalty shall be imposed on account of such goods during the course of assessment of such person.

Provided that if the person transporting goods has uploaded complete particulars of the statement, on the official web portal of the department before entering the State of Madhya Pradesh, he shall be deemed to have complied with the requirement of obtaining and carrying statement.

- (4) The proceedings under sub-section (3) shall be initiated by the officer specified under sub-section (3) , by issue of a notice for giving the person transporting the goods an opportunity of being heard. On hearing the person and after having held such enquiry as he may deem fit, if the authorized officer is not satisfied, he shall pass an order directing the person transporting the goods that he shall pay by way of penalty a sum which shall not be less than two times but shall not exceed 3 times of the tax payable on the goods for which he had not carried the statement.
- (5) The assessment of every person transporting goods, shall be made separately for every financial year, by the officer, as authorized by the Commissioner. The provisions of assesment, recovery, appeal and revision of this Act shall mutatis mutandis apply to the person transporting goods.

Explanation : For the purpose of this section,—

- (i) "person transporting goods" means transporter, courier, agent or any other person transporting goods and besides the owner, includes manager, agent, driver, employee of the owner, a person in-charge of a place of loading or unloading of goods or a person in-charge of a goods carrier carrying such goods for dispatch to other places or gives delivery of any consignment of such goods to the consignee;
- (ii) "online shopping or e-commerce" means buying and selling of goods through internet or telephone."